[2018] 14 एस. सी. आर 403

बिहार राज्य और अन्य

बनाम्

कीर्ति नारायण प्रसाद

(दीवानी अपील संख्या 8649/2018)

नवंबर 30,2018

[मदन बी. लोकुर, एस. अब्दुल नजीर और दीपक गुप्ता, न्यायमूर्तिगण]

सेवा कानून-नियुक्तियाँ-की वैधता-उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ता जिले के संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों के तहत बिहार राज्य की सेवा में शामिल हुए थे-यह आरोप लगाया गया था कि किसी भी रिट याचिकाकर्ता को उचित कानूनी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त नहीं किया गया था-राज्य सरकार ने पाया कि बड़ी संख्या में नियुक्तियाँ झूठी या जाली दस्तावेजों के आधार पर भर्ती की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और ज्यादातर नियुक्ति आदेशों के बिना की गई। ऐसी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया और संबंधित पदधारकों को सेवा से मुक्त कर दिया गया-सेवा को नियमित करने और सेवाओं की समाप्ति के आदेश को रद्द करने के लिए विशिष्ट अनुरोध के साथ उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाएं -उच्च न्यायालय द्वारा अनुमत-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया:रिट याचिकाकर्ता असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए अवैध आदेशों के लाभार्थी थे-उन्हें अपनी नियुक्ति की वास्तविकता स्थापित करने और कारण बताने के लिए नोटिस दिया गया था-उनमें से कोई भी राज्य समिति के समक्ष अपनी नियुक्ति की वास्तविकता या वैधता को स्थापित करने में सक्षम नहीं था-अभिलेख

पर सामग्री की सराहना पर राज्य समिति ने राय दी थी कि उनकी नियुक्ति अवैध थी और शुरू से ही अमान्य थी-राज्य समिति के उक्त निष्कर्ष से असहमत होने का कोई आधार नहीं था-परिस्थितियों में, उनकी सेवाओं के नियमितीकरण का सवाल नहीं उठा, क्योंकि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति शुरू से ही अमान्य थी, वे राज्य के सिविल सेवक नहीं थे।

मामलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: वर्तमान मामलों में, रिट याचिकाकर्ताओं ने अपनी सेवा को नियमित करने और उनकी सेवाओं को समाप्त करने के आदेश को रद्द करने के लिए एक विशिष्ट अनुरोध के साथ उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाएं दायर की हैं। उन्होंने राज्य समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को भी चुनौती दी है। वास्तविक विवाद यह है कि क्या रिट याचिकाकर्ताओं को कानूनी और वैध रूप से नियुक्त किया गया था। राज्य समिति का निष्कर्ष यह है कि कई रिट याचिकाकर्ताओं ने नकली या जाली नियुक्ति पत्र पेश करके नियुक्ति हासिल की थी या उन्हें गुप्त रूप से संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश जारी कर के सरकारी सेवा में शामिल किया गया था। रिट याचिककर्तागण असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा दिए गए गैरकानूनी आदेशों के लाभार्थी हैं। उन्हें उनकी नियुक्ति की वास्तविकता और कारण बताने के लिए सूचना दिया गया था। उनमें से कोई भी राज्य समिति के समक्ष अपनी नियुक्ति की वास्तविकता या वैधता को स्थापित नहीं कर सका। अभिलेख पर सामग्री के मूल्यांकन पर राज्य समिति ने यह राय व्यक्त की है कि उनकी नियुक्ति आरम्भतः ही गैरकानूनी और शून्य थी।राज्य समिति के निष्कर्ष से असहमत होने का कोई आधार नहीं है। इन परिस्थितियों में, उमादेवी मामले में निर्णय का आह्वान करके उनकी सेवाओं को नियमितकरण करने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है।चूंकि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति आरम्भतः ही अमान्य है, इसलिए उन्हें राज्य का नागरिक सेवक नहीं कहा जा सकता। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 311 द्वारा या किसी अन्य अनुशासनात्मक नियमों के अंतर्गत परिकल्पित अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं होगी। [पारा 17] [413-ई-एच; 414-ए]

सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी (3) और अन्य (2006) 4 एस. सी. सी. 1:[2006] 3 एससीआर 953; उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम ममता मोहंती (2011) 3 एससीसी 436: [2011] 2 एससीआर 704-पर निर्भर था।

कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम एम. एल. केसरी और अन्य (2010) 9 एससीसी 24; बिहार राज्य बनाम पुरेंद्र सुलन कित 2006 (3) पी. एल. जे. आर. 386-संदर्भित।

वाद कानून संदर्भ

[2006] 3 एससीआर 953	पारा 1	पर निर्भर किया गया है।
(2010) 9 एससीसी 24	पारा 1	से संदर्भित किया गया है।
[2011] 2 एससीआर 704	पारा 6	पर निर्भर किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: दीवानी अपील संख्या 8649/2018

एल. पी. ए. सं. 1523/2010 में उच्चा न्यायालय, पटना के न्यायाधिकार और आदेश से।

साथ में

दीवानी अपील सं. 8697, 8698, 8699, 8700, 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8650, 8651, 8652, 8654, 8706, 8655, 8668, 8707, 8670, 8673, 8674-8676, 8677, 8678, 8661, 8656, 8657, 8658, 8659, 8660, 8683, 8684, 8662, 8663, 8665, 8666, 8687, 8688, 8689, 8690, 8691, 8692, 8693, 8696, 10049-10050/2018

रंजीत कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, गोपाल सिंह, मनीष कुमार, सुश्री अपराजिता सूद, कुमार मिलिंद, राजीव कुमार, डी. पी. मोहंती, रामेश्वर प्रसाद गोयल, नवीन प्रकाश, सुश्री मीतू सिंह, ए. के. यादव, एल. आर. रथ, सुश्री रूमी चंद्रा, के. वी. मोहन, मनु शंकर मिश्रा, अभिजात पी. मेध, आशीष कुमार दास, परमानंद गौर, डॉ. कैलाश चंद, सुश्री संध्या तिवारी, अशोक कुमार तिवारी, वी. एन. रघुपति, केदार नाथ त्रिपाठी, गौरव अग्रवाल, सुश्री मोनिका हरेजा, सुश्री रश्मि नंदकुमार, संदीप दास, सुश्री सुरभी शर्मा, सुश्री प्रतिष्ठा विज, अभिनव मुख़र्जी, सुश्री विहू शर्मा, सुश्री पूर्णिमा कृष्णा, सुश्री आशा उपाध्याय, अवधेश कुमार सिंह, जे. पी. त्रिपाठी, ब्रहम सिंह, रोहित विधूदी, आर. डी. उपाध्याय, राजीव शंकर द्विवेदी, राजेश प्रसाद सिंह, उपस्थित पक्षों के अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय एस. अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ति द्वारा सुनाया गया।

निर्णय

1. मामलों के पूर्वोक्त समूह में से कुछ अपीलें बिहार राज्य द्वारा पटना में न्यायिक उच्च क्षेत्राधिकार के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई हैं, जिसमें खंडपीठ ने 2009 के सीडब्ल्यूजेसी संख्या 6575 और समान मामलों में दिनांक 6.10.2009 के आदेश के संदर्भ में सभी परिणामी लाभों के साथ अपने-अपने पदों पर रिट याचिकाकर्ताओं को बहाल करने के विद्वत एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की है। 2009 की सीडब्ल्यूजेसी संख्या 6575 और अन्य संबंधित मामलों में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं को अनुमति देते हुए अपीलकर्ताओं की बहाली का निर्देश दिया है। रिट याचिकाकर्ता अपने पद की समाप्ति की तारीख से सभी पारिणामिक लाभों के साथ काम कर रहे थे.उक्त आदेश को चुनौती देते हुए बिहार राज्य द्वारा दायर एलपीए अपीलों को उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि रिट याचिकाकर्ता न्यायालय और न्यायाधिकरण के किसी भी अंतरिम आदेश के संरक्षण के बिना दस साल से अधिक समय से लगातार काम कर रहे हैं।आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि सचिव, कर्नाटक राज्य में इस न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णय और

अन्य बनाम उमादेवी (3) और अन्य, 2006 (4) एससीसी 1 और कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम एम. एल. केसरी और अन्य, 2010 (9) एससीसी 247, रिट याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जारी किया गया समापन आदेश कानूनी नहीं कहा जा सकता है। तदनुसार, एलपीए को खारिज कर दिया गया है।इन आदेशों को अपीलों के इस समूह में बिहार राज्य द्वारा भी चुनौती दी गई है।

2. सम्बद्ध अन्य मामलों में, पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एल. पी. ए. को अनुज्ञात किया है और उसमें याचियों द्वारा फाइल की गई रिट याचिकाओं को उनकी नियुक्ति को प्रारंभ से अमान्य मानते हुए खारिज कर दिया गया है।

3. चूंकि इन सभी अपीलों में एक समान मुद्दा उठाया गया है, इसलिए उनका निपटान इस समान निर्णय द्वारा किया जाता है।

4. मामलों के तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार हैंः

5. रिट याचिकाकर्ता जिले के संबंधित सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेशों के तहत बिहार राज्य की सेवा में शामिल हुए थे। किसी भी रिट याचिकाकर्ता को उचित कानूनी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त नहीं किया गया था। वे संबंधित सिविल सर्जन के क्षेत्राधिकार के भीतर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी सेवा में तैनात थे। सिविल सर्जन का क्षेत्राधिकार.संबंधित सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियुक्ति में बड़े पैमाने पर की गई अनियमितताओं का एहसास होने के बाद राज्य सरकार ने सभी नियुक्तियों की जांच की। राज्य सरकार ने पाया कि बड़ी संख्या में नियुक्तियां फर्जी या जाली दस्तावेजों के आधार पर की गई, बिना भर्ती की उचित प्रक्रिया का पालन किए और ज्यादातर नियुक्ति आदेशों के बिना, ऐसी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया और संबंधित पदाधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इन आदेशों को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने एक समान निर्णय और आदेश द्वारा सेवा से निष्कासन के आक्षेपित आदेशों को केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर रद्द कर दिया। सभी रिट

याचिकाकर्ताओं को मध्यवर्ती अवधि के लिए वेतन या पारिश्रमिक के बिना सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया गया था।

6. इसके बाद राज्य सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी करके और उनमें से प्रत्येक से अपनी-अपनी नियुक्ति की वैधता स्थापित करने का आह्वान करके ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने की कार्यवाही शुरू की। रिट याचिकाकर्ता अपनी नियुक्ति की वैधता स्थापित करने में विफल रहे। एक बार फिर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। पीड़ित महसूस करते हुए, रिट याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त आदेशों को चुनौती दी, जो अंततः लेटर पेटेंट अपीलों में खंडपीठ तक पहुंच गया। खंडपीठ ने इस बात पर गौर किया कि रिट याचिकाकर्ता वर्ग III या वर्ग IV सेवा में नियुक्त किए गए थे और लंबे समय से सेवा कर रहे थे। उन्होंने सेवा में नियमितीकरण के लाभ का दावा किया था। उमादेवी (पूर्वोक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, बिहार राज्य बनाम पुरेंद्र सुलन किट वाले मामले में खंड न्यायपीठ ने 2006 (3) में रिपोर्ट की। पीएलजेआर 386 ने राज्य सरकार को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि प्रभावित कर्मचारियों में से कौन सा कर्मचारी नियमितीकरण का हकदार है। खंडपीठ का निर्देश इस प्रकार हैः

> "सभी पत्र एलपीए चाहे द्वारा पसंद किया गया हो। राज्य या प्रभावित कर्मचारियों द्वारा और प्रभावित कर्मचारियों द्वारा दायर सभी रिट याचिकाओं को इस समान निर्णय और आदेश द्वारा निपटाया जाता है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे सचिव के मामले में संविधान पीठ द्वारा तय किए गए प्रासंगिक तथ्यों और कानून के आधार पर सभी प्रभावित कर्मचारियों के मामलों पर पुनर्विचार करें। जैसा कि सचिव कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी (उपर्युक्त) ऐसे प्रभावित कर्मचारी विशेष रूप से फैसले के पैराग्राफ 44 के संदर्भ में उस फैसले के संदर्भ में नियमितीकरण के लिए उपयुक्त हैं। इस तरह का कार्य आज से छह महीने की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाना चाहिए।यदि किसी

अच्छे कारण से, समय अवधि बढ़ाने की आवश्यकता है, तो प्रत्यर्थी राज्य को उस उद्देश्य के लिए एक आवेदन दाखिल करना चाहिए और इस न्यायालय से विस्तार की मांग करनी चाहिए। प्रक्रिया पूरी होने तक बिहार राज्य और उसके अधिकारियों प्रभावित कर्मचारियों की सेवा के संबंध में यथास्थिति बनाए रखेंगे। इस निर्णय और आदेश के आलोक में प्रभावित कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्य और उनके अंतिम निर्णय के परिणामस्वरूप अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों द्वारा यथास्थिति को संशोधित किया जाएगा।"

7. उपर्युक्त निर्देशों के अनुसरण में, राज्य सरकार ने व्यक्तिगत मामलों के तथ्यों की जांच करने के लिए पांच अधिकारियों (संक्षेप में 'राज्य समिति') की एक समिति का गठन किया। तथापि, उक्त समिति के दो सदस्यों ने उन कारणों से कार्यवाही में भाग नहीं लिया जिनके बारे में उन्हें बेहतर जानकारी थी। इसलिए, यह तीन सदस्यों की समिति में तब्दील हो गया जिसने उपर्युक्त निर्देशों का पालन किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त समिति ने प्रत्येक व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी किया, प्रत्येक मामले में तथ्यों पर विचार किया और कर्मचारियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

(i) झूठे और जाली दस्तावेज के आधार पर रोजगार प्राप्त करना

(ii) अवैध नियुक्तियां और

(iii) अनियमित नियुक्तियां

8. उमादेवी (पूर्वोक्त) के निदेश को ध्यान में रखते हुए लगभग 91 मामलों को जिन्हें अनियमित नियुक्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, अंततः नियमित करने का आदेश दिया गया। शेष नियुक्तियां प्रारंभ से ही शून्य होने के कारण रद्द कर दी गईं और संबंधित कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। रिट याचिकाकर्ताओं ने एक बार फिर उच्च न्यायालय के समक्ष बर्खाश्तगी के आदेश को चुनौती दी। कुछ रिट याचिकाओं की अनुमति दी गई। इस तरह के आदेशों के खिलाफ राज्य सरकार ने लेटर पेटेंट अपीलों का

एक समूह दायर करके खंडपीठ से संपर्क किया। खंडपीठ ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से एक समान निर्णय और आदेश द्वारा मामले को न्यायमूर्ति उदय सिन्हा (सेवानिवृत्त) की एक समिति को विस्तृत निर्देशों के साथ संदर्भित किया। इन मामलों की सुनवाई न्यायमूर्ति उदय सिन्हा (सेवानिवृत्त) द्वारा की गई है। उन्होंने अपने समक्ष रखे गए प्रत्येक मामले में रिपोर्ट दी है। ये मामले अपीलों के इस समूह की विषय-वस्तु नहीं हैं। उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य समिति की रिपोर्ट को चुनौती देते हुए नियुक्तियों के एक समूह द्वारा रिट याचिकाएं दायर की गई थीं। उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त रिट याचिकाओं की अनुमति दी। विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए संबंधित आदेशों को खंड पीठ के समक्ष एलपीए दाखिल करके चुनौती दी गई थी। खंडपीठ ने कुछ अपीलों को स्वीकार किया। कुछ मामलों में खंडपीठ ने राज्य सरकार को रिट याचिकाकर्ताओं की सेवा को नियमित करने का निर्देश दिया। तत्काल अपीलों में इन आदेशों को चुनौती दी गई है।

9. बिहार राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि रिट याचिकाकर्ता अवैध रूप से नियुक्त किए गए हैं। खंडपीठ के निर्णय और आदेश के अनुसरण में गठित समिति द्वारा जिनकी नियुक्तियां अनियमित पाई गईं, वे उन लोगों से अलग थीं जिनकी नियुक्तियां अवैध थीं और उनके साथ समान आधार पर व्यवहार नहीं किया जा सकता।चूंकि, रिट याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियां अवैध पाई गईं, इसलिए उन्हें सुनवाई का अवसर देने के बाद उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया। राज्य समिति ने प्रत्येक रिट याचिकाकर्ता की नियुक्ति की शुद्धता की जांच की है और उन्हें अवैध पाया है। रिट याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिक्त पद के विरुद्ध नहीं की गई है। उनकी नियुक्ति बिना किसी विज्ञापन के अक्षम प्राधिकारी द्वारा गैर-स्वीकृत पद पर की गई थी और उमादेवी (उपर्युक्त) के निर्णय के अनुसार उनकी नियुक्ति को बचाया नहीं जा सकता था।

10. दूसरी ओर, रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वत वकील ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ताओं के पास प्रश्नगत पद पर नियुक्त होने के लिए अपेक्षित योग्यता है। क्षेत्रीय उप निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा उनकी नियुक्ति उनके पिछले स्वास्थ्य

सेवा अनुभव और योग्यता को ध्यान में रखते हुए की गई है और उन्हें विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात किया गया है और पिछले 2 से 3 दशकों तक काम किया है। उनकी नियुक्ति उमादेवी (पूर्वोक्त) और एम. एल. केसरी (पूर्वोक्त) के निर्णय द्वारा पूरी तरह संरक्षित है। इसलिए, उन्हें उनके करियर के इस चरण में, वह भी उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक जांच किए बिना सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता है।

11. हमने पक्षकारों के विद्वत वकील की प्रस्तुतियों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया है।

12. इसमें कोई विवाद नहीं है कि बिहार सरकार ने अपने प्रशासनिक सुधार विभाग में अपने परिपत्र संख्या 16440 दिनांक 03.12.1980 के तहत सरकारी कार्यालय में तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए निर्देश जारी किए थे।यह परिपत्र बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एक प्रतियोगी परीक्षा के बाद चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति से भरे गए पदों के अलावा कक्षा III के उन पदों पर लागू होता है जो सरकार के दिनांक 28.01.1976 के संकल्प द्वारा शासित होते हैं। उक्त परिपत्र में सचिवालय और उससे संबद्ध कार्यालयों, जिला मजिस्ट्रेटों और अन्य मुफस्सिल कार्यालयों में रिक्तियों को अधिसूचित करने और आवेदन आमंत्रित करने, एक सामान्य मेरिट सूची तैयार करने और मेरिट के क्रम में उक्त सामान्य मेरिट सूची से नियुक्ति के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। यह चयन समिति के गठन, योग्यता सूचियों और प्रतीक्षा सूची की तैयारी, योग्यता सूचियों की अवधि और प्रतीक्षा सूची के लिए प्रक्रिया भी प्रदान करता है। इसी तरह का परिपत्र संख्या 16441 भी सरकार के मुफस्सिल कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए 03.12.1980 को जारी किया गया था। ये परिपत्र सरकारी कार्यालयों में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति में भेदभाव से बचने और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप सामान्य प्रक्रिया प्रदान करने के लिए जारी किए गए थे।रिट याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति इन परिपत्रों के अनुसार नहीं की गई है। इसलिए, विवाद रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वत वकील का कहना है कि चूंकि रिट याचिकाकर्ताओं ने 10 से अधिक वर्षों तक सेवा की है और उनमें से कुछ ने 20 वर्ष भी

पूरे कर लिए हैं। उन्हें उमादेवी (उपर्युक्त) और एम. एल. केसरी (उपर्युक्त) के निर्णय के अनुसार नियमित किया जाना चाहिए था।

13. उमादेवी (उपर्युक्त) वाले मामले में संविधान पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जब तक सुसंगत नियमों के अनुसार और अर्हित व्यक्तियों के बीच समुचित प्रतिस्पर्धा के पश्चात् नियुक्ति नहीं की जाती है, तब तक नियुक्ति करने वाले को कोई अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा। यदि यह एक संविदात्मक नियुक्ति है, तो नियुक्ति अनुबंध के अंत में समाप्त हो जाती है, यदि यह दैनिक मजदूरी या आकस्मिक आधार पर नियुक्ति थी, तो यह तब समाप्त हो जाएगी जब इसे बंद कर दिया जाता है। एक अस्थायी कर्मचारी अपनी नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर स्थायी होने का दावा नहीं कर सकता है। यह भी स्पष्ट किया गया कि केवल इसलिए कि एक अस्थायी कर्मचारी या एक आकस्मिक मजदूरी श्रमिक को उसकी नियुक्ति की अवधि के बाद भी कुछ समय के लिए जारी रखा जाता है, वह नियमित सेवा में शामिल होने या स्थायी होने का हकदार नहीं होगा, केवल इस तरह के निरंतरता के बल पर, यदि मूल नियुक्ति संबंधित नियमों द्वारा परिकल्पित चयन की उचित प्रक्रिया का पालन करके नहीं की गई थी। उमादेवी (उपर्युक्त) के पैरा 43 में यह निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गया थाः

> "43. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक रोजगार में समानता के नियम का पालन करना हमारे संविधान की एक बुनियादी विशेषता है और चूंकि कानून का शासन हमारे संविधान का मूल है, इसलिए किसी न्यायालय को निश्चित रूप से अनुच्छेद 14 के उल्लंघन को बरकरार रखने या संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ पठित अनुच्छेद 14 की आवश्यकताओं का पालन करने की आवश्यकता की अनदेखी करने का आदेश देने से वंचित किया जाएगा। इसलिए, सार्वजनिक रोजगार की योजना के अनुरूप, इस न्यायालय को कानून को अधिकथित करते समय, आवश्यक रूप से यह अभिनिर्धारित करना होगा कि जब तक नियुक्ति प्रासंगिक नियमों के संदर्भ में और योग्य व्यक्तियों के बीच उचित प्रतिस्पर्धा के बाद नहीं होती है, तो यह नियुक्ति करने वाले को

कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा। यदि यह संविदात्मक नियुक्ति है, तो अनुबंध के अंत में नियुक्ति समाप्त हो जाती है, यदि यह दैनिक वेतन या आकस्मिक आधार पर नियुक्ति थी, तो यह होगी जब इसे बंद कर दिया जाता है तो समाप्त हो जाता है। इसी तरह एक अस्थायी कर्मचारी अपनी नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर स्थायी होने का दावा नहीं कर सकता। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केवल इसलिए कि एक अस्थायी कर्मचारी या एक आकस्मिक मजदूरी श्रमिक को उसकी नियुक्ति की अवधि के बाद भी कुछ समय के लिए जारी रखा जाता है, वह नियमित सेवा में समाहित होने या स्थायी होने का हकदार नहीं होगा, यदि मूल नियुक्ति संबंधित नियमों द्वारा परिकल्पित चयन की उचित प्रक्रिया का पालन करके नहीं की गई थी। अस्थाई कर्मचारियों, जिनकी रोजगार की अवधि समाप्त हो गई है या तदर्थ कर्मचारियों, जो अपनी नियुक्ति की प्रकृति से ही कोई अधिकार अर्जित नहीं करते, के कहने पर नियमित भर्ती को रोकने के लिए न्यायालय को अधिकार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्य करने वाले उच्च न्यायालयों को सामान्यतः अवशोषण, नियमितीकरण या स्थायी निरंतरता के लिए निर्देश जारी नहीं करना चाहिए जब तक कि भर्ती स्वयं नियमित रूप से और संवैधानिक योजना के संदर्भ में न की गई हो। केवल इसलिए कि कोई कर्मचारी अदालत के एक आदेश की आड़ में काम करता रहा, जिसे हमने फैसले के पहले भाग में 'मुकदमेबाज रोजगार' के रूप में वर्णित किया है, वह किसी भी अधिकार का हकदार नहीं होगा कि उसे सेवा में समाहित किया जाए या स्थायी बनाया जाए।वास्तव में, ऐसे मामलों में, उच्च न्यायालय को अंतरिम निर्देश जारी करने में न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि, आखिरकार, यदि अंततः उसके पास आने वाला कर्मचारी राहत का हकदार पाया जाता है, तो उसके लिए राहत को इस तरह से ढालना संभव हो सकता है कि अंततः उसे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े,

जबकि उसका रोजगार जारी रखने के लिए एक अंतरिम निर्देश चयन के लिए नियमित प्रक्रिया को रोक सकता है या राज्य पर किसी कर्मचारी को भुगतान करने का बोझ डाल सकता है जिसकी वास्तव में आवश्यकता नहीं है। न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने में सावधान रहना चाहिए कि वे राज्य या उसके साधनों द्वारा उसके मामलों की आर्थिक व्यवस्था में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप न करें या संवैधानिक और वैधानिक आदेशों को दरकिनार करने की सुविधा के लिए खुद को साधन न दें।

(महत्वपूर्ण माना गया)

14. तथापि, पैराग्राफ 53 में एक बार के उपाय के रूप में नियमितीकरण के विरुद्ध सामान्य सिद्धांतों के लिए एक अपवाद बनाया गया है जो निम्नानुसार हैः

"53. एक पहलू को स्पष्ट करने की जरूरत है। मामले हो सकते हैं जहां अनियमित नियुक्तियां (गैर-कानूनी नियुक्तियां नहीं) नारायणप्पा, आर. एन. नंजुंडप्पा और बी. एन. नागराजन और उपर्युक्त पैरा 15 में उल्लिखित, सम्यक रूप से स्वीकृत रिक्त पदों पर सम्यक रूप से योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता था और कर्मचारियों ने न्यायालयों या अधिकरणों के आदेशों के बिना दस वर्ष या उससे अधिक समय तक काम करना जारी रखा हो। ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण के प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त मामलों में और इस निर्णय के आलोक में तय किए गए सिद्धांतों के आलोक में योग्यता के आधार पर विचार किया जा सकता है। इस संदर्भ में, भारत सरकार, राज्य सरकारों और उनके परिकरणों को एक बार के उपाय के रूप में ऐसे अनियमित रूप से नियुक्त किए गए लोगों की सेवाओं को नियमित करने के लिए कदम उठाने चाहिए, जिन्होंने दस वर्ष या उससे अधिक समय तक विधिवत रूप से स्वीकृत पदों पर काम किया है, लेकिन न्यायालयों या अधिकरणों के आदेशों के तहत

नहीं और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि नियमित भर्ती उन रिक्त पदों को भरने के लिए की जानी चाहिए जिन्हें भरने की आवश्यकता है, उन मामलों में जहां अस्थायी कर्मचारी या दिहाड़ी मजदूर अब कार्यरत हैं। इस तिथि से छह महीने के भीतर प्रक्रिया शुरू कर दी जानी चाहिए। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि पहले से किए गए, लेकिन न्यायाधीन नहीं, नियमितीकरण को इस फैसले के आधार पर फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संवैधानिक आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें नियमित या स्थायी नहीं किया जाना चाहिए, जिन्हें संवैधानिक योजना के अनुसार विधिवत नियुक्त नहीं किया गया है।

15. ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ एल. पी. ए. की खंडपीठ ने एम. एल. केसरी (पूर्वोक्त) के पैराग्राफ 11 का अनुसरण करते हुए निर्णय के पैराग्राफ 7 में निहित टिप्पणियों पर विचार किए बिना सेवा के नियमितीकरण का निर्देश दिया। पैराग्राफ 11 में यह कहा गया है कि निदेश का सही प्रभाव यह है कि वे सभी व्यक्ति जिन्होंने 10 अप्रैल, 2006 [उमादेवी (3) में निर्णय की तारीख] तक किसी भी न्यायालय या अधिकरण के किसी भी अंतरिम आदेश के संरक्षण के बिना, रिक्त पदों में, जिनके पास अपेक्षित योग्यता है, उमादेवी (3) में एक बार के उपाय के रूप में निर्णय के छह महीने के भीतर नियमितीकरण के लिए विचार किए जाने के हकदार हैं। हालांकि, उमादेवी (पूर्वोक्त) पर विचार करने के बाद इस न्यायालय ने पैरा 7 में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि नियमितीकरण के लिए कर्मचारी की नियुक्ति अवैध नहीं होनी चाहिए, भले ही वह अनियमित हो।

"7. उपर्युक्त कंडिका से यह स्पष्ट है कि उमादेवी (3) में उल्लिखित 'नियमितीकरण' के विरुद्ध सामान्य सिद्धांतों का एक अपवाद है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैंः-

(i) संबंधित कर्मचारी को किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के अंतरिम आदेश के लाभ या संरक्षण के बिना विधिवत रूप से

स्वीकृत पद पर 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक काम करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, राज्य सरकार या उसके परिकरण को कर्मचारी को नियोजित करना चाहिए और उसे स्वेच्छा से और लगातार दस वर्षों से अधिक समय तक सेवा में बनाए रखना चाहिए।

(ii) ऐसे कर्मचारी की नियुक्ति अवैध नहीं होनी चाहिए, चाहे वह अनियमित ही क्यों न हो। जहां स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां नहीं की जाती हैं या जारी नहीं रखी जाती हैं या जहां नियुक्त किए गए व्यक्तियों के पास निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं है, वहां नियुक्तियां अवैध मानी जाएंगी। लेकिन जहां नियोजित व्यक्ति के पास निर्धारित योग्यता थी और वह स्वीकृत पदों के खिलाफ काम कर रहा था, लेकिन उसका चयन खुले प्रतिस्पर्धी चयन की प्रक्रिया से गुजरे बिना किया गया था, वहां ऐसी नियुक्तियों को अनियमित माना जाता है।"

(महत्वपूर्ण माना गया)

16. उड़ीसा राज्य और एक अन्य बनाम ममता मोहंती और एक अन्य, (एआईआर 1995 एससी 135)ममता मोहंती, (2011) 3 एस. सी. सी. 436, यह अदालत ने कहा है कि एक बार नियुक्ति का आदेश प्रारंभिक नियुक्ति के समय खराब हो गया था, इसे बाद के चरण में पवित्र नहीं किया जा सकता है। यह इस प्रकार आयोजित किया गयाः

"68 (i) प्रारंभिक चरण में उत्तरदाताओं/शिक्षकों की नियुक्ति करते समय सभी मामलों में 1974 के नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर कुछ नोट लिखकर की गई थी। इनमें से कुछ शिक्षकों को चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार परीक्षा का सामना नहीं करना पड़ा। एक बार नियुक्ति का आदेश 15 की उम्र में ही खराब हो गया था

प्रारंभिक नियुक्ति के समय, इसे बाद के चरण में पवित्र नहीं किया जा सकता है।"

(महत्वपूर्ण माना गया)

17. वर्तमान मामलों में रिट याचिकाकर्ताओं ने अपनी सेवा को नियमित करने और अपनी सेवाओं की समाप्ति के आदेश को रद्द करने के लिए एक विशिष्ट प्रार्थना के साथ उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाएं दायर की हैं। उन्होंने राज्य समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को भी चुनौती दी है। वास्तविक विवाद यह है कि क्या रिट याचिकाकर्ताओं को कानूनी और वैध रूप से नियुक्त किया गया था। राज्य समिति का निष्कर्ष है कि कई रिट याचिकाकर्ताओं ने फर्जी या जाली नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करके नियुक्ति प्राप्त की थी या संबंधित सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक नियुक्ति आदेश जारी करके गुप्त रूप से सरकारी सेवा में शामिल किया गया था। रिट याचिकाकर्ताओं असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा दिए गए गैरकानूनी आदेशों के लाभार्थी हैं। उन्हें उनकी नियुक्ति की वास्तविकता और सकारण बताने के लिए सूचना दिया गया था।उनमें से कोई भी राज्य समिति के समक्ष अपनी नियुक्ति की वास्तविकता या वैधता को स्थापित नहीं कर सका। अभिलेख पर सामग्री के मूल्यांकन पर राज्य समिति ने यह राय व्यक्त की है कि उनकी नियुक्ति आरम्भतः ही गैरकानूनी और अस्तित्वहीन थी। हम राज्य समिति के निष्कर्षों से असहमत होने का कोई आधार नहीं पाते हैं। इन परिस्थितियों में उमादेवी (उपर्युक्त) के निर्णय के पैरा 53 को लागू करके उनकी सेवा को नियमित करने का सवाल ही नहीं उठता है। चूंकि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति आरम्भतः ही अस्तित्वहीन है, इसलिए उन्हें राज्य का नागरिक सेवक नहीं कहा जा सकता। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 311 द्वारा या किसी अन्य अनुशासनात्मक नियमों के अंतर्गत परिकल्पित अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

18. इसलिए, अपील के पूर्वोक्त बैच में रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर सिविल अपीलों को इसके द्वारा खारिज किया जाता है। बिहार राज्य द्वारा दायर सिविल अपीलों को अनुमति दी जाती है और उक्त मामलों में पटना उच्च न्यायालय में दायर रिट

याचिकाओं को इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है। लागत-दण्ड के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(मदन बी. लोकुर), न्यायमूर्ति

(एस अब्दुल नजीर), न्यायमूर्ति

(दीपक गुप्ता), न्यायमूर्ति

नया दिल्ली

30 नवंबर, 2018

खण्डन (डिस्क्लेमर):– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।